(146)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3909—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—10—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 515/अपील/2013—14.

.....

1—छोटेलाल बढ़ई पिता होरिल बढ़ई
2—रामबहोर बढ़ई पिता होरिल बढ़ई
निवासी ग्राम कोष्टा तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0 प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

दशमवती पुत्री होरिल बढ़ई
निवासी ग्राम कोष्टा तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0 प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री जय शंकर मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 20/03/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—10—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील रायपुर कर्चुलियान में अनावेदिका दशमवती पुत्री होरिल बढ़ई निवासी ग्राम कोष्टा द्वारा इस आसय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोष्टा की आराजी न0 217 रकवा 0.648, 246/2 रकवा 0.413, 248 रकवा 0.316, 254 रकवा 0.109, 247 रकवा 0.073 है0 ग्राम वेलहा की आराजी नं0 179 रकवा 0.563, 199 रकवा 0.129 है0 के भूमिस्वामी होरिल बढ़ई दर्ज थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पश्चात आवेदकगण का नाम अंकित हुआ लेकिन अनावेदिका का नाम अंकित न कर मात्र पुत्रियां दर्ज किया गया है। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा अनावेदिका का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जिससे दुखित होकर अपील आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.10.14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण को एक माह के अन्दर लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था लेकिन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में अनावेदिका बिना हक व हिस्सा के पूर्वज होरिल के संपत्ति में अपना वारिसाना नामांतरण की मांग की है जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है, क्यों कि आवेदकगण उत भूमियों में काफी लंबे अर्सा से काबिज दखल होकर कास्त करते चले आ रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार भूमि का विकास कर चुके हैं, जिसमें आवेदकगण के द्वारा काफी लागत लगाई जा चुकी है। गांव एवं शहर के प्रोपर्टी डीलरों के संपर्क में अनावेदिका आते हुये आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को देखते हुये लालच में आकर गलत बंश वृक्ष का फायदा उठाने का प्रयास किया है जबकि उसे उसके पिता होरिल द्वारा विवाह के समय ही उसके ससुराल से बुलाकर कुछ जमीन देकर मकान बनाकर दे चुके थे तथा शादी विवाह में हिस्से की भूमि से कहीं ज्यादा रूपया खर्च कर अनावेदिका का विवाह कर चुके हैं एवं विवाह के दौरान सोना चांदी जेबरात दान दहेज इत्यादि सब कुछ देते हुये अनावेदिका को

विदा कर दिये थे तथा उसके बावजूद भी स्व0 होरिल द्वारा उसे पृथक से कुछ भूमि देकर व मकान बनवाकर दे चुके हैं जिसमें काफी रूपया आवेदकगण के हिस्से व हक का खर्च हुआ है इस तरह से अनावेदिका विवाह के दौरान अपना पूर्णतयः हक व हिस्सा प्राप्त कर चुकी है एवं पिता के कुछ भूमि मकान बनाकर निवासरत हैं उसके बावजूद भी दुर्भावनापूर्ण ढंग से राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराकर आवेदकगण के हक व हिस्से की भूमि को पुनः प्राप्त करना चाहती है जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.14 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का आदेश दिनांक 19.5.14 यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का आदेश दिनांक 19.5.14 सर्वथा विधि विधान के सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान इस पर विचार नहीं किया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि होरिल के उत्तराधिकारी आवेदकगण एवं अनावेदिका हैं उनके साथ ही मृत्यु उपरांत उनके पुत्रों व पुत्रियों के नाम वारिसाना नामांतरण किया गया तो मुख्य बिन्दु केवल यह था कि होरिल के पुत्री का नाम खसरे में अंकित नहीं हुआ केवल पुत्री होरिल दर्ज हो गया जो गलत व अशुद्व प्रविष्टि के सुधार का आदेश उपरांत दिया गया था इस आदेश को निरस्त करने को अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान को कोई ओचित्य नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान का आदेश को केवल इस तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया कि जो तहसीलदार ने अशुद्व प्रविष्टि का आदेश दिया वह आदेश धारा 115, 116 के विहित परिस्थितियों पर है, धारा 109, 110 अथवा धारा 32 का प्रयोग करके ठीक नहीं किया जा सकता वस्तुत उपरोक्त विन्दु पर न्यायिक तौर पर विचार करना चाहिये था। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि वैधानिक सिद्वांत यह है कि कोई धारा न लिखी जाय अथवा गलत धारा लिख जाय तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वल्कि आवेदन में चाहे गये अनुतोष के विन्दु को ध्यान मे रख करके आदेश देना चाहियें था इसलिये

तहसीलदार का आदेश दिनांक 9.11.11 में कोई त्रुटि नहीं थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा निरस्त करने में महान त्रुटि की गई थी। अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.10.14 स्थिर रखने तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । प्रकरण संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील रायपुर कर्चुलियान में अनावेदिका दशमवती पुत्री होरिल बढ़ई निवासी ग्राम कोष्टा द्वारा इस आसय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोष्टा की आराजी न0 217 रकवा 0.648, 246/2 रकवा 0.413, 248 रकवा 0.316, 254 रकवा 0.109, 247 रकवा 0.073 है0 ग्राम वेलहा की आराजी नं0 179 रकवा 0.563, 199 रकवा 0.129 है0 के भूमिस्वामी होरिल बढ़ई दर्ज़ थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पश्चात आवेदकगण का नाम अंकित हुआ लेकिन अनावेदिका का नाम अंकित न कर मात्र पुत्रियां दर्ज किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि मृतक भूमिस्वामी के दो पुत्र एवं एक पुत्री थी वारिसाना नामांतरण हो चुका था किन्तु मृतक की पुत्री दशमवती का खसरे में नाम अंकित न करते हुये पुत्रियां पिता होरिल दर्ज था, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि खसरे में पुत्रियां पिता होरिल दर्ज हे तो खसरे में मृतक की पुत्री का नाम दर्ज़ होना आवश्यक था। मृतक के सजरा एवं पूर्व में हुये वारिसाना नामांतरण पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी इसलिये अगर वारिसाना नामांतरण के समय खसरा अद्यतन करने में कोई त्रुटि रह गई थी तोउसका संशोधन आवश्यक था, पारित आदेश में तहसीलदर की मंशा न्यायोचित थी। इसलिये अगर आवेदन में या पारित आदेश में धारा लिखने में त्रुटि हुई है तब भी न्यायोचित तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता है। मृतक के सजरा खानदान एवं वारिसाना नामांतरण पर किसी प्रकार की आपतित नहीं हैं इसलिये अगर मृतक की पुत्री के स्थान पर मृतक की पुत्री दशमवती का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया हे वह विधि सममत एवं न्यायोचित है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का आदेश दिनांक 19.5.14 निरस्त करने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 515/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.10.14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर